दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177
E.mail-cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

''जल भवन'' बी ब्लॉक,नेहरू कालोनी,देहरादून–248001

पत्रांक 5466 /अप्रैजल–03/ एकल खिडकी व्यवस्था/2017-18 दिनांकः 25/10/17

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः– Ease of Doing Business कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

मुख्यालय के पत्रांक 5327 **/अप्रैजल–03/ एकल खिडकी व्यवस्था**/2017-18 **दिनांकः 12.10.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जिससे** मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1335/ VII-2-16/66–एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11.08.2016 से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल खिडकी व्यवस्था हेतु प्राप्त निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी से प्राप्त होने वाले जल संयोजनों के आवेदनो का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त के क्रम में उल्लेख करना है कि उद्यम विभाग द्वारा औद्योगिक जल संयोजनों के आवेदन हेतु वैबसाईट investuttarakhand.com तैयार की गयी है, जिस वैबसाईट के माध्यम से उद्योगो द्वारा जल संयोजन हेतु आवेदन किया जायेगा। आवेदित जल संयोजन स्वतः ही विभागीय बिलिंग वैब साईट ujsbill.uk.gov.in/auth/main/login.aspx पर प्राप्त होगा, जिस पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता लॉगिन कर आवेदित औद्योगिक जल संयोजन पर कार्यवाही करेगें।

उक्त व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि औद्योगिक जल संयोजनो के आवेदनो को उद्यम एकल खिडकी के माध्यम से ही ऑन लाईन प्राप्त किया जाये तथा प्राप्त आवेदनो को नियत समय सीमा के अन्तर्गत ऑन लाईन निस्तारित किया जाना सुनिश्चित करें।

(एस0के0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :– तदैव
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान...................................।
2. सचिव,प्रशासन,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान...................................।
4. गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक

दूरभाष : (का0) 0135-2676260
फैक्स: 0135-2676177
E.mail-cgm-js-ua@nic.in

उत्तराखण्ड जल संस्थान

"जल भवन" बी ब्लॉक,नेहरू कालोनी,देहरादून-248001

पत्रांक 5327 /अप्रैजल-03/ एकल खिडकी व्यवस्था/2017-18 दिनांक: 12.10.17

समस्त अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान
....

विषयः- Ease of Doing Business कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0 1335/ VII-2-16/66-एम0एस0एम0ई0/2013 दिनांक 11.08.2016 से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत एकल खिडकी व्यवस्था हेतु आदेश पारित हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। एकल खिडकी व्यवस्था हेतु शासन द्वारा वैबसाईट investuttarakhand.com तैयार की गयी है जिस पर Ease of Doing Business कार्यक्रम से सम्बन्धित अधिनियम/नियमावली एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यालय ज्ञाप में पारित निर्देशों का कडाई से अनुपालन करते हुये उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी से प्राप्त होने वाले जल संयोजनों के आवेदनो का त्वरित निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।
संलग्नकः- उपरोक्तानुसार

(एस0के0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक :- तदैव
प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान.................................... ।
2. सचिव,प्रशासन,उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान.................................... ।
4. गार्ड फाईल।

मुख्य महाप्रबन्धक

उत्तराखण्ड शासन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

संख्या: 1335/VII-2-16/66–एम0एस0एम0ई0/2013

देहरादून: दिनांक: 11 अगस्त, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग स्थापना सहित विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर अनुमति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञाओं/अनुमति हेतु "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम–2012" एवं "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली–2015" लागू है।

2 शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य में प्रस्तावित समस्त निवेश प्रस्ताव एकल खिडकी व्यवस्था के अंतर्गत ग्रहण किये जायेंगे। वर्तमान में लागू व्यवस्थानुसार (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के अंतर्गत) धनराशि ₹10.00 करोड तक के प्रस्तावों पर जनपद स्तर की समिति द्वारा तथा धनराशि ₹10.00 करोड से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तर की समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

3 तद्नुसार "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम–2012"/ "उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली–2015" के अंतर्गत दी जाने वाली अनुज्ञाओं/अनुमति के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही सिंगल विण्डो पोर्टल/सिस्टम के माध्यम से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: — /VII-2-16/66–एम0एस0एम0ई0/2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढवाल मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. निजी सचिव–मा0 मंत्री, लघु उद्योग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
8. गार्ड फाईल।

(शत्रुघ्न सिंह)
मुख्य सचिव।